(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2011

का.नि.आ. 59.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासन) पद के भर्ती नियम, 1998 को, जहां तक इसका संबंध प्रशासन सहायक 'ख' के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में प्रशासनिक सहायक 'ख' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ख' पद) भर्ती नियम, 2011 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक सहायक 'ख'	702* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

2885 GI/11-3

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा - 75% (ii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ग्रेड वेतन 1900 रुपए में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारिवृन्द से जिन्होंने बारहवीं कक्षा या समतुल्य अर्हता उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा --25%; परन्तु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा केवल तभी आयोजित की जाएगी जब संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति समूह-II में किसी वर्ष में प्रशासनिक सहायक 'ख' की श्रेणी में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या 8 से अधिक हो। संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति समूह II श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले प्रशासनिक सहायक 'क' से प्रोन्नति।	**प्रोन्नति :** प्रशासनिक सहायक 'क' जिन्होंने 8 वर्ष की नियमित सेवा इस ग्रेड में संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, वहां उनसे ज्येष्ठ ऐसे कर्मचारियों के संबंध में भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा, अपेक्षित अर्हक सेवा के आधे या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक कम न हो और उन्होंने अगले उच्च पद पर प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :- 1. संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य 3. किसी अन्य स्थापन/प्रयोगशाला या मुख्यालय से एक अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला/स्थापन के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/आरआर/प्रशासनिक सहायक 'ख'/सी/पी/04]

एस. के. देब, अवर सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 27th July, 2011

S.R.O. 59.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Administration) posts Recruitment Rules, 1998, in so far as it relates to the post of Administrative Assistant 'B', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Assistant 'B' in the Ministry of Defence, in the Department of Defence Research and Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached there to shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Assistant 'B'	702* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200–20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
(i) By promotion on the basis of Selection - 75% (ii) By promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1900 and who possess 12th Class pass	**Promotion :** Administrative Assistant 'A' with eight years' regular service rendered in the grade in the respective Departmental Promotion Committee-II Group.

(10)	(11)
or equivalent qualifications and have rendered 5 years' regular service in the grade, failing which by promotion on the basis of selection - 25%; Provided that if the total number of vacancies to be filled in a year in the grade of Administrative Assistant 'B' in the respective DPC-II Group is less than 8, no LDCE shall be held for the group in that year. Promotion from Administrative Assistant 'A' with eight years regular service rendered in the grade in the respective DP/C-II Group.	**Note :** Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualiyfing service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for considering promotion : 1. Head of the concerned Establishment or Laboratory —Chairman 2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory —Members 3. An Officer from another Laboratory/Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/ Establishment —Member	Not applicable.

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin Asst. 'B'/C/P/04]

S. K. DEB, Under Secy.